राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2316/2024

अरविंद सिंह

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये सचिव, गृह विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, लालकोठी, जयपुर।
3. पुलिस महानिरीक्षक, कोटा रेंज, कोटा।
4. पुलिस अधीक्षक, कोटा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 15.07.2024
आदेश की दिनांक : 18.07.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री राजेन्द्र सिंह डागोर, अभिभाषक

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील अनुसार अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 09.06.2021 (अनुलग्नक–1) द्वारा कोटा सिटी से बांरा में कर दिया गया। अपीलार्थी विभाग के सबसे निचले कैडर में कार्यरत कम वेतन पाने वाला कर्मचारी है। अपीलार्थी की वरिष्ठता जिलेवार रखी जाती है और इस प्रकार उसे जिले से बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। प्रत्यर्थी विभाग ने अपने आदेश दिनांक 27.07.2023 द्वारा अपीलार्थी की सेवाओं को बहाल कर दिया। निलंबन की अवधि के दौरान अपीलार्थी को मुख्यालय, रिजर्व पुलिस लाइन, जिला बारां में कांस्टेबल नंबर 778 के रूप में आवंटित किया गया था। (अनुलग्नक–2) अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को एक अभ्यावेदन दिनांक 01.07.2024 (अनुलग्नक–3) प्रस्तुत किया लेकिन प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई निस्तारण नहीं किया गया। अपीलार्थी हृदय रोगी है और उसका इलाज चल रहा है। अपीलार्थी की वरिष्ठता को जिलेवार न रखा जाकर अपीलार्थी का स्थानान्तरण जिले से बाहर किया गया।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावे कि आलौच्य आदेश दिनांक 09.06.2021 (अनुलग्नक–1) को निरस्त किया जावे तथा अपीलार्थी को कांस्टेबल के पद पर कोटा सिटी में कार्यरत रखा जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना एवं बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी छः सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहॉ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतनराम देवड़ा)
सदस्य